न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)
पीठासीन अधिकारीः–कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या– 107/2016
GCMS CASE NO-2016/00071

दायरा दिनांक 27.12.2016

महिया पुत्र रोशनदीप जाति मुसलमान निवासी हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
––प्रार्थी

वनाम

1.पुन्नू खां पुत्र लश्कर खां जाति मुसलमान निवासी हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2.तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ भू–धारक प्रतिनिधी राजस्थान सरकार
––अप्रार्थीगण

शिकायत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11, 14 उपनिवेशन अधिनियम 1954 सपठित धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970

उपस्थितः–
1. श्री भगवानदत्त शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री सुभाष चन्द विश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01
3. पैरोकार राज

–:: निर्णय ::– दिनांक :25.11.2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने शिकायत प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 1 पुन्नू खां पुत्र लश्कर खां ने जैर प्रार्थना पत्र भूमि यथा रोही हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ के खसरा न. 123/13 वर्तमान खसरा न. 123/11 की 25.00 बीघा बारानी भूमि तथ्य छिपाकर आवंटन करवाई है। क्योकि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से रोही कुम्भगढ़ तहसील सूरतगढ़ के खसरा न. 18 की 10.120 है0 आवंटित थी। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने पिता लश्कर खां को आवंटित रकबा यथा रोही हिन्दौर के खसरा न. 170/2 की 12.650 है0 बारानी भूमि में आने वाले नोशनल हिस्से की भूमि को भी छुपाया है। रोही हिन्दौर वर्तमान में उपनिवेशन से मुक्त हो चुका है एवं राजस्व अधिनियम से शासित है। आवंटन नियमों में उपनिवशेन क्षेत्र में पूर्व आवंटित व पिता से आने वाले सम्भावित हिस्से की भूमि को मिलाकर 50.00 बीघा बारानी रकबा अथवा 25.00 बीघा नहरी से अधिक भूमि का आवंटन नही करवाया जा सकता। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ने तथ्य छुपाकर आवंटन करवाया है जिसे निरस्त किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रार्थी की और से अधिवक्ता भगवानदत्त शर्मा हाजिर आये। अप्रार्थीगण संख्या 1 की और से अधिवक्ता श्री सुभाष चन्द विश्नोई एवं अप्रार्थी संख्या 02 पैरोकार राज उपस्थित हुए।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस शिकायत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 पुन्नू खां पुत्र लश्कर खां ने जैर प्रार्थना पत्र भूमि यथा रोही हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ के खसरा न. 123/13 वर्तमान खसरा न. 123/11 की 25.00 बीघा बारानी भूमि तथ्य छिपाकर आवंटन करवाई है। क्योकि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से रोही कुम्भगढ़ तहसील सूरतगढ़ के खसरा न. 18 की 10.120 है0 आवंटित थी। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने पिता लश्कर खां को आवंटित रकबा यथा रोही हिन्दौर के खसरा न. 170/2 की 12.650 है0 बारानी भूमि में आने वाले नोशनल हिस्से की भूमि को भी छुपाया है। रोही हिन्दौर वर्तमान में उपनिवेशन से मुक्त हो चुका है एवं राजस्व अधिनियम से शासित है। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम (अस्थाई कृषि पट्टा शर्ते) 1955 के नियम 8 में यह स्पष्ट वर्णित है कि–Mximum area of land which may be allotted to an applicant shall not exeed 25 bighas of irrigated or 50 bighas of unirrigated land inclusive of the area of lamd which he or any member of his joint family might have transferred since the 1st day of march, 1955 as also the land actually held by him if any. अर्थात आवंटन नियमों में उपनिवशेन क्षेत्र में पूर्व आवंटित व पिता से आने वाले सम्भावित हिस्से की भूमि को मिलाकर 50.00 बीघा बारानी रकबा अथवा 25.00 बीघा नहरी से अधिक भूमि का आवंटन नही करवाया जा सकता। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 का आवंटन निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.11.28 18:10:52 IST
Reason: SelfAttested

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी का उक्त आवंटन भी टीसी आवंटन है। टीसी आवंटन की शिकायत नहीं हो सकती। टीसी आवंटन पहले कमेटी से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर

1080

Scanned with OKEN Scanner

पुख्ता होगा। पुख्ता के समय पूर्ण जांच की जावेगी जिसमें सभी तथ्य सामने आ जायेगें। जैर प्रार्थना पत्र पर आवंटन की दिनांक से लगातार मुझ अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त चला आ रहा है, जो पत्रावली में उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट से स्पष्ट है। शिकायतकर्ता द्वारा महज आपसी रंजिश एवं दुर्भावना से यह शिकायत पेश की जो सारहीन है। इस प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 पैरोकार राज ने दौराने बहस राज्यहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार रोही कुम्भगढ़ में पुन्नू खां को 10.120 है0 बारानी अर्थात 40.00 बीघा बारानी भूमि आवंटन होना तथा पून्नू खां के पिता लश्कर खां के नाम से रोही हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ में आवंटित 12.650 है0 50.00 बीघा बारानी भूमि में भी पून्नू खां का हिस्सा होना स्पष्ट है। इसके अलावा पुन्नू खां को रोही हिन्दौर के खसरा न. 123/13 व वर्तमान खसरा न. 123/11 की 25.00 बीघा बारानी भूमि टीसी पर एक वर्षीय आवंटन होना स्पष्ट है। वर्तमान में उक्त टीसी नवीनीकरण होना स्पष्ट नहीं है। टीसी नवीनीकरण का बिन्दु तहसीलदार स्तर का है जिसके लिये प्रार्थी सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है। टीसी आवंटन को शिकायत प्रार्थना पत्र के माध्यम से निरस्त करने के प्रावधान नहीं है। भूमि धारण क्षमता का बिन्दु पुख्ता आवंटन के समय सक्षम आवंटन अधिकारी द्वारा विचारण योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र श्रवण योग्य नहीं पाये जाने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2024.11.28 18:10:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner